इच्छा के ख़िलाफ़ निकाह

(तेरहवें फ़िक़्ही सेमिनार में पास किया गया प्रस्ताव)

1- बालिग़ होने के बाद हर लड़का या लड़की को शरीअत ने अपने मामले में अपनी इच्छा के अनुसार फ़ैसला करने का अधिकार दिया है। निकाह के लिए भी यह अधिकार समान रूप से हासिल है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता इस्लाम की एक अहम विशेषता है। पश्चिमी और पूर्वी देशों में बसने वाली बहुत सी क़ौमों ने इस्लाम की इन शिक्षाओं से प्रभावित होकर ही अपने यहाँ औरतों को बहुत से अधिकार दिए हैं।

2- किसी वली की तरफ़ से लड़के या लड़की को उसकी इच्छा के ख़िलाफ़ किसी रिश्ते पर मजबूर करना जायज़ नहीं है। इस संबंध में किसी तरह का दबाव बनाना या धमकी देना इस्लाम के द्वारा दिए गये व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन है।

3- लड़के और लड़की को यह प्रेरणा दी जाती है कि वह अपने वली की इजाज़त और मशवरे से ही निकाह करें, और उनकी तरफ़ से चुने गए रिश्ते को प्राथमिकता दें। क्यूंकि उनकी मुहब्बत और उनका जीवन अनुभव उन्हें आगे के नुक़सान और पछतावे से बचाएगा। यह आशा रखनी चाहिए कि वली या अभिभावक रिश्ते के चयन में उनके हित और भविष्य का पूरा ख़्याल रखेंगे।

4- निकाह सम्पन्न होने या न होने का सम्बन्ध निकाह के समय रज़ामंदी के इज़हार से है, इस लिए अगर बालिग़ लड़के या लड़की ने निकाह के समय रज़ामंदी दे दी तो निकाह सम्पन्न हो जाएगा।

5- अगर क़ाज़ी या शरई अदालत के सामने यह बात साबित हो जाए कि अभिभावकों ने बालिग़ लड़की के निकाह के सिलसिले में ज़ोर ज़बरदस्ती से काम लिया है और उसकी इच्छा के ख़िलाफ़ जबरन निकाह कराया है, और लड़की इस निकाह को बाक़ी नहीं रखना चाहती तो क़ाज़ी या शरई संस्था को यह निकाह ख़त्म (फ़स्ख़) कराने का अधिकार हासिल हो जाएगा।

☆☆☆